भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3202
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

3202. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :

श्री पी. सी. मोहन :

श्री सुरेश कुमार कश्यप :

श्री बिप्लब कुमार देब :

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) विशेषकर प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय तक पहुंच बढ़ाने में, ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना के मुख्य उद्देश्य और उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) इस परियोजना ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की अवधारणा में किस प्रकार योगदान दिया है ;

(घ) न्यायालयों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कौन सी विशिष्ट प्रौद्योगिकियां कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ङ) राज्यवार, विशेषकर त्रिपुरा में कितने जिले और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारतीय न्यायपालिका के सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है । भारत सरकार का न्याय विभाग संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत रीति से भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय में ई-न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है ।

परियोजना का पहला चरण 2011-2015 के दौरान क्रियान्वित किया गया और इसमें कम्प्यूटरीकरण की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया जैसे कि कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित करना, इंटरनेट संयोजकता सुनिश्चित करना और ई-न्यायालय प्लेटफॉर्म को प्रचालित करना । इस चरण के कार्यान्वयन के लिए 935 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले कुल 639.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए । इस चरण में निम्नलिखित पहल की गईं :

i. 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया ।

ii. 13,683 न्यायालयों में लैन स्थापित किया गया, 13,436 न्यायालयों में हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया तथा 13,672 न्यायालयों में सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया ।

iii. 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए तथा सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंधन कार्य पूरा कर लिया गया ।

iv. 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबंटू-लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया ।

v. 3900 से अधिक न्यायालय कर्मचारियों को प्रणाली प्रशासक के रूप में मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रशिक्षित किया गया ।

vi. 493 न्यायालय परिसरों और 347 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रचालित की गई ।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (2015-2023) का चरण II जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता तथा विभिन्न नागरिक केंद्रित पहलों पर केंद्रित है । इस चरण के कार्यान्वयन के लिए 1670 करोड़ रुपये के परिव्यय में से कुल 1668.43 करोड़ रुपये व्यय किए गए । 2023 तक 18,735 न्यायालयों को डिजिटल अवसंरचना प्रदान की जा चुकी है ।

न्याय को सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध बनाने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित ई-पहल शुरू की गई हैं: -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अंतर्गत, भारत भर के 99.5% न्यायालय परिसरों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ संयोजकता प्रदान की गई है । ई- न्यायालय परियोजना के अंतर्गत वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस), ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी), सबमरीन केबल आदि जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। यह ई- न्यायालय परियोजना के लिए आधार का निर्माण करता है, जो देश भर के न्यायालयों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । मुक़दमेबाज़ मामले की जानकारी और 27.64 करोड़ से ज़्यादा आदेशों/निर्णयों (आज की तारीख़ में) तक पहुँच सकते हैं ।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में सीआईएस राष्ट्रीय कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में और सीआईएस राष्ट्रीय कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों में क्रियान्वित किया जा रहा है ।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एसएमएस पुश और पुल (प्रतिदिन 4 लाख से अधिक एसएमएस भेजे जाते हैं), ईमेल (प्रतिदिन 6 लाख से अधिक भेजे जाते हैं), बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से 7 प्लेटफ़ॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31.10.2024 तक कुल 2.69 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31.10.2024 तक 20,719 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

v. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की सुनवाई करने में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 31.10.2024 तक 2,48,21,789 मामलों

की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 90,21,629 मामलों (कुल 3.38 करोड़) की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके की । भारत के उच्चतम न्यायालय ने 23.03.2020 से 04.06.2024 तक 7,54,443 सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच भी वी.सी. सुविधाएँ सक्षम की गई हैं ।

vi. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कलकत्ता और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आरंभ किया गया है, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्ति कार्यवाही में सम्मिलित हो सकेंगे ।

vii. 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ट्रैफिक चालान मामलों को निपटाने के लिए वर्चुअल न्यायालय प्रचालित किए गए हैं। इन वर्चुअल न्यायालय द्वारा 6 करोड़ से अधिक मामले (6,00,29,546) निपटाए गए हैं और 62 लाख (62,97,544) से अधिक मामलों में 31.10.2024 तक 649.81 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है ।

viii. ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) को उन्नत सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है, जिससे वकील 24X7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं ।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का विकल्प आवश्यक है, जिसमें न्यायालय शुल्क, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं, जो सीधे समेकित निधि में देय हैं । अतः, फीस आदि के परेशानी मुक्त हस्तांतरण के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू की गई थी ।

x. डिजिटल डिवाइड के सेतु के लिए, जिला न्यायालयों में 1394 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) और उच्च न्यायालयों में 36 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं । यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उदारक के रूप में कार्य करता है जो तकनीक का खर्च नहीं उठा सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं । यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है । ये देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग, वर्चुअल रीति से सुनवाई करने, स्कैनिंग, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने आदि की सुविधा प्रदान करके समय की बचत, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और लागत बचाने में भी लाभ प्रदान करते हैं ।

xi. प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया सेवा और समन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है । इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है ।

xii. एक नया "निर्णय खोज" पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें न्यायपीठ, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय : तारीख से लेकर तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाएँ हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

xiii. परियोजना के एक भाग के रूप में, ई-न्यायालय परियोजना के अधीन प्रदान की गई आईसीटी सेवाओं पर मई 2020 से अक्टूबर 2024 तक 605 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय के कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ताओं सहित लगभग 6,64,144 हितधारकों को सम्मिलित किया गया है ।

ई-न्यायालय चरण ।।। (2023-2027) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2023 में ₹7,210 करोड़ के परिव्यय पर मंजूरी दी गई है, जो चरण ।। के लिए वित्त पोषण से चार गुना अधिक है । परियोजना में विभिन्न नई डिजिटल पहलों की परिकल्पना की गई है जैसे डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों की स्थापना, जिसका उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को डिजिटल प्रारूप में लाना, न्यायालय के रिकॉर्ड (विरासत रिकॉर्ड और लंबित मामले दोनों) का डिजिटलीकरण, न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार, यातायात उल्लंघन के निर्णयों से परे ऑनलाइन न्यायालयों का दायरा, सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्रों की संतृप्ति, डिजिटल न्यायालय रिकॉर्ड, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, सीधा प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि को आसानी से प्राप्त करने और उनका समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा संग्रह, लंबित मामलों के विश्लेषण, भविष्य के मुकदमों का पूर्वानुमान लगाने आदि के लिए कृत्रिम आसूचना जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) जैसे इसके उप-समूहों का उपयोग । इस प्रकार, प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के सरकार के प्रयास ई- न्यायालय चरण ।।। में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिससे देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित हो सकेगी।

(ङ) : देश भर में कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (त्रिपुरा सहित) का विवरण **उपाबंध-1** पर है।

****

उपाबंध-1

ई- न्यायालय मिशन मोड परियोजना के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3202 जिसका उत्तर 13/12/2024 को दिया जाना है, के संदर्भ में विवरण।

क्र.स.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	617
3	बॉम्बे कलकत्ता	दादर और नागर हवेली	3
		दमण और दीव	2
		गोवा	39
		महाराष्ट्र	2157
4	छत्तीसगढ़ दिल्ली	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	14
		पश्चिमी बंगाल	827
5	गौहाटी	छत्तीसगढ	434
6	इलाहाबाद	दिल्ली	681
7	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	28
		असम	408
		मिजोरम	69
		नागालैंड	37
8	गुजरात	गुजरात	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	218
11	झारखंड	झारखंड	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	1031
13	केरल	केरल	484
		लक्षद्वीप	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	24
		तमिलनाडु	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	38
17	मेघालय	मेघालय	42
18	उड़ीसा	ओडिशा	686
19	पटना	बिहार	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	30
		हरियाणा	500
		पंजाब	541
21	राजस्थान	राजस्थान	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	271
	कुल		**18735**

****